

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0-जी0/बी0डी0/08-20-विविध(आवास किराया)-01/2021.....80.....पटना, दिनांक 17/11/22

कार्यालय आदेश

पूर्वादेश को विखण्डित करते हुए निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित आवास नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त पर आवास अधिग्रहण की तिथि से आवंटित किया जाता है:-

(क) नये आवास का आवंटन					
क्र.	Reg. ID	नाम/पदनाम	विभाग/कार्यालय	आवंटित आवास	
1.	-	श्रीमती रिकु सिंह, आई0आर0एस0, आयकर आयुक्त।	आई0टी0ए0टी0, पटना।	B3/54, 96 सेट, ऑफिसर्स आवास, नेहरू पथ, पटना। (रिक्त होने की शर्त पर)	
2.	BG2022	श्री विवेक रंजन मैत्रेय, भा0प्र0से0, निदेशक।	हस्त करघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना।	17/60, 60 सेट, ऑफिसर्स फ्लैट, नेहरू पथ, पटना। (रिक्त होने की शर्त पर)	
3.	BG1987	श्री प्रीतम कुमार, बि0प्र0से0, माननीय उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना।	मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना।	8/60, 60 सेट, ऑफिसर्स फ्लैट, नेहरू पथ, पटना। (रिक्त होने की शर्त पर)	
4.	BG2052	श्रीमती अनुराधा सिंह, बि0पु0से0, पुलिस उपाधीक्षक।	आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार, पटना।	7A/60, 60 सेट, ऑफिसर्स फ्लैट, नेहरू पथ, पटना।	
5.	BG2049	श्री योगेन्द्र कुमार दत्त, मा0मंत्री, अल्प संख्यक कल्याण विभाग के आप्त सचिव(वाहय), बिहार, पटना।	अल्प संख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना।	U/2, A to Z Set, न्यू पुनार्चक, पटना।	
(ख) परिवर्तित आवास का आवंटन					
क्र.	Reg. ID	नाम/पदनाम	विभाग/कार्यालय	पूर्व में आवंटित आवास	आवंटित आवास
6.	BG1947	श्री मनोज कुमार सिंह, अध्यक्ष।	वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण	31/60, 60 सेट, ऑफिसर्स फ्लैट, नेहरू पथ (दिनांक-04.01.2022)	14, 15 सेट, छज्जुबाग, पटना

2. सरकारी आवास आवंटन (केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्त के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे।

3. नये आवंटी पदाधिकारी सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।

4. स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनसे सरकारी आवास आवंटन (केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-11(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार आवास किराया लिया जाएगा तथा नियमानुसार निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।

5. अगर पटना में आवासी का कोई अपना मकान हो तो आवास आवंटन नियमावली, 1986 के प्रावधान के अनुसार इस संबंध में वे तदनुसार, कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग को आवास अधिग्रहण की स्थिति में सूचित करेंगे। सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-


(शिव रंजन)

उप सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।

ज्ञापांक:-जी0/बी0डी0/08-20-विविध(आवास किराया)-01/2021 8272(अ) पटना, दिनांक:- 17/11/22

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/संबंधित पदाधिकारी/अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, भवन निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल/केन्द्रीय भवन प्रमंडल/पटना भवन प्रमंडल/कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, पटना/कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल संख्या-01 पटना/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमंडल, पेसू, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी भू-सम्पदा प्रशाखा/निदेशक(तकनीकी), एन.आई.सी. पटना/कनीय अभियंता (ई0-निवास), भवन निर्माण विभाग एवं आई.टी. मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र/केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना, भवन निर्माण विभाग आवंटित आवास का प्रभार आवंटी को प्रावधानित 30 दिनों के भीतर दिला कर आवास अधिग्रहण की सूचना विभाग तथा कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल को, देना सुनिश्चित करेंगे।



उप सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।